<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या 41/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

<u>उनवान</u>

1. कौशल्या देवी पत्नि महेश मीना जाति मीना हाल सरपंच ग्राम पंचायत चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा।
2. नन्दा पुत्र हीरालाल
3. मंगल्या पुत्र गणपत
4. रामूलाल पुत्र गणपत
5. जगदीश पुत्र महादेव
6. जगदीश पुत्र नाथू
7. राधेश्याम पुत्र गणेश
8. कैलाश पुत्र काल्या
9. चन्दा पुत्र काल्या
10. मटरू पुत्र नारायण
11. नारायण पुत्र कुन्जा
12. मोती पुत्र गणपत

(क्रमांक 2 से 12) समस्त जाति कोली निवासी ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा।

13. बिहारी पुत्र नाथू जाति खटीक निवासी चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।
14. पून्या पुत्र गणपत जाति कोली निवासी ग्राम चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।
15. हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा।
16. कैलाश पुत्र भागीरथ जाति मीना निवासी ग्राम चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के यहां लम्बित प्रार्थना पत्र 145 जा. फौ. मुकदमा संख्या 5/2011 उनवानी सरकार वगरौ बनाम शम्भूदयाल वगैरा)</u>

उपस्थिति : श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा अधिवक्ता प्रार्थिया उपस्थित।

: श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2–9 व 12–16 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 10.08.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khiladi Meena
Date: 2022.08.26 18:20:22 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इ[illegible]से है कि एसएचओ लालसोट ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 [illegible] थाना लालसोट में इस आशय का पेश किया कि **"दिनांक 5.2.2011 को एक प्रार्थना [illegible] श्री शम्भुलाल पुत्र मूलचन्द जाति यादव** उम्र 40 वर्ष पुलिस थाना लालसोट सरपंच ग्राम पंचायत चांदसेन पंचायत समिति लालसोट ने अवगत कराया कि पंचायत की आबादी [illegible] खसरा नम्बर 53 रकबा 152 बीघा में से वर्ष 2002 में स्कूल से सोसायटी गोदाम तक 3 बीघा 4 बिस्वा आबादी में स्वीकार हुई। दक्षिण दिशा में लक्ष्मण/हीरा बैरवा की कृषि भूमि है। उत्तर दिशा में सडक डामर

लालसोट से श्यामपुरा है। पूर्व दिशा में आदर्श स्कूल बनी हुई है, इसके बीच की भूमि रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर पार्टी संख्या 2 में गैर सायल 1 लगायत 15 द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है'' जिसके सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के यहां उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शम्भूदयाल वगै. अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. का परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थिया को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिये उक्त परिवाद को समुचित सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली में प्रतिदिन न्यायालय परिसर में मौजूद रहते है तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के चैम्बर में बैठे रहते है तथा अप्रार्थीगण के कहे अनुसार प्रतिदिन दिन ब दिन की तारीख पेशी लेते रहते है। जिसकी सूचना उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से हाल सरपंच प्रार्थिया को नहीं दी जाती है। प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहां से अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने के पश्चात विधिक प्रक्रिया अनुसार दोनो पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं हुआ तथा दिनांक 29.6.2022 को विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर फरमा दिया जबकि धारा 145 जा. फौ. की सुनवाई में सम्बन्धित साक्षियों को कोर्ट सम्मन से तलब करना चाहिये था तथा सिर्फ अप्रार्थीगण के कहे अनुसार ही उपखण्ड अधिकारी लालसोट विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रार्थिया को बिना सुने एकतरफा में प्रकरण का निस्तारण करने का अन्देशा प्रार्थिया को स्पष्ट तौर से दिखाई पड रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण है तथा ग्राम पंचायत चांदसेन की सम्पत्ति है। जिस पर अप्रार्थीगण निरस्त हुये पट्टों के आधार पर अपना हक जता कर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिये अप्रार्थीगण न्यायिक अधिकारी से सांठ गांठ कर कानून एवं प्रक्रिया की सरे आम धज्जियां उडाकर ग्राम पंचायत चांदसेन की बेशकीमती भूमि पर अपना कब्जा कर स्वामित्व जताने को आमादा है। जिसका की अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग इस आशय से साबित होता है कि एक ही तारीख की दो–दो आर्डरशीट लिखी हुई है तथा जिस पत्रावली में अग्रिम सुनवाई के लिये तारीख पेशी दी जाती है। उस दिन तारीख पेशी पर वह पत्रावली निकलती नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थिया को अविश्वास हुआ है तथा न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। इसलिये उक्त परिवाद को समुचित सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याय हित में कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम शम्भूदयाल वगैरा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:22 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2–9 व 12–16 द्वारा निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र 145 जा. फौ. बउनवानी सरकार वगै. बनाम शम्भूदयाल वगै. विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के निस्तारण में बाधा डालने हेतु झूंठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थिया कौशल्या देवी पत्नि महेश मीना का एकमात्र उद्देश्य अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करना एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाना है। प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने के पक्ष में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा प्रेषित टिप्पणी में अंकितानुसार प्रकरण में नियमानुसार तारीख पेशीयां दी जाकर प्रकरण का निर्णय किये जाने का उल्लेख करते हुये पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिया का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में येन–केन प्रकारेण विलम्ब किया जाना है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 5/2011 प्रार्थना पत्र 145 जा. फौ. बउनवानी सरकार वगैरा बनाम शम्भूदयाल वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी लालसोट को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नियमोचित निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुना गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:22 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा